20रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

न्यायालय श्री मान राजस्व मण्डल महोदय , ग्वालियर म.प्र.

नि. - 997 - II - 16

निगरानी प्र.क्र.-

1- रघुवीर यादव तनय गुण्डे यादव आयु55 वर्ष

2- रघुनाथ यादव तनय गुण्डे यादव आयु 45 वर्ष

3- रामरतन यादव तनय गुण्डे आयु 40 साल

सभी निवासीयान ग्राम देवपुर तहसील खरगापुर जिला टीकमगढ़ म.प्र.---निगरानीकारगण/आवेदकगण

बनाम

1- भगवान दास तनय सुर्जेसिंह यादव निवासी ग्राम देवपुर तहसील खरगापुर जिला टीकमगढ़

2-शासन म.प्र. ----प्रतिनिगरानीकार/अना.

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959

निगरानी प्रतिकूल विद्वान अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी बल्देवगढ़ के राजस्व प्र.क्र. 16/अपील/15-16 में पारित आदेश दिनांक 23.12.15 के विरूद्ध जिसमें अपीलार्थीगण का आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 52 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 निरस्त किया गया से क्षुब्ध होकर ।

महोदय

निगरानी कासंक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :-

यह कि निगरानीकारण के पिता की मृत्यु के बाद उनके द्वारा छोड़ी गयी समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति का नामांतरण दिनांक 15.10.11 के द्वारा नामांतरण हो चुका था । समस्त राजस्व रिकार्ड व अभिलेख में भी

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-997-दो/2016 रघुवीर विरूद्ध भगवानदास

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22-10-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक रघुवीर की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी वल्देवगढ़, जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 16/अपील/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 03-12-2015 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 14-03-2016 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी । प्रकरण में कायमी (Admission) पर निर्णय लिया जाना है । 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 22.x.18	

4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर टीकमगढ़ के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।

5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर टीकमगढ़ को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-12-2018 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

22.x.18

(आर.के. जैन)
सदस्य